

दिया तले अंधेरा

नगर परिषद अध्यक्ष की हवेली से सटे ठाकुर जलाशय में घटिया निर्माण सवालों के घेरे में

54 लाख का सौंदर्यीकरण ढाई साल बाद भी अधूरा



डिंडोरी ,नवभारत 3 फरवरी। दिया तले अंधेरा कहावत को तो आपने सुनी ही होगी, यदि नहीं सुनी और आपको इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो नगर के वार्ड क्रमांक 12 और 13 के मध्य बने ठाकुर जलाशय जाकर देखना होगा, जहां यह कहावत चरितार्थ होती नजर आएगी।

जलाशय क्षेत्र में ही नगर परिषद अध्यक्ष डिंडोरी की आलीशान हवेली है और उसी हवेली को संरक्षित करते हुए नगर परिषद डिंडोरी द्वारा अमृत 2.0 मद

से लगभग 54 लाख रूपयों का सौंदर्यीकरण विगत ढाई से 3 वर्षों से किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो उक्त निर्माण पर तकरीबन 20 लाख रूपयों का भुगतान भी परिषद द्वारा बालाघाट की एक फर्म के नाम कर दिया गया। अब यह भुगतान क्यों और किस आधार पर किया गया यह तो विभाग में पदस्थ जिम्मेदार ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जबकि नवभारत ने निर्माण तिथि के बाद से ही घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे।

क्या ऐसे ही विकास करंगी अध्यक्ष

आप यकीन करें या ना करें, लेकिन अध्यक्ष के घर से लगे हुए घटिया निर्माण पर नप अध्यक्ष ने जिस तरह मौन साध रखा है। इससे तो यही प्रतीत होता कि स्वयं को लाभान्वित करने की मंशा के साथ किए जा रहे घटिया निर्माण कार्य करने वाली फर्म को अध्यक्ष का खुला संरक्षण है। इस पूरे मामले में लोक निर्माण समिति के पीआईसी मंबर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी

सहित उपयंत्रियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिन्होंने सब कुछ जानते समझते भी इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर खामोशी साध रखी है।

अध्यक्ष पुत्र का वीडियो वायरल

आपको जानकर हैरत होगी कि लगभग दो रोज पूर्व ही उक्त निर्माण स्थल के पास से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पुत्र एक स्थानीय पत्रकार से सवाल-जवाब करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो से स्पष्ट है कि पत्रकार को कवरेज करने से रोकने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन पैतरा उल्टा पड़ गया और पत्रकार ने वीडियो वायरल कर दिया। अब इसमें अध्यक्ष पुत्र की क्या मंशा थी यह तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं।

कच्छप गति से चल

रहा घटिया निर्माण

बता दें कि उक्त निर्माण कार्य का कार्यादेश 27 सितंबर 2023 को जय कुमार असाठी ठेकेदार, जिला बालाघाट के नाम से जारी किया गया था। जिसमें मापदंड निर्धारित

किए गए थे कि मैटेरियल/क्रस्ट स्टोन ड्राइंग अनुसार एवं तकनीकी स्पेसिफिकेशन अनुसार ही 9 माह की अवधि में वर्षाकाल को मिलाकर किया जाना चाहिए,

लेकिन 9 माह तो छोड़िए जनाब यहां तो ढाई वर्ष होने को है और कार्य आज भी अधर में वह भी धूल वाली डस्ट के साथ नियम – निर्देशों को धता बताते हुए।

इनका कहना है

मेरे द्वारा जिम्मेदारों से जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर मांग की गई थी, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई और ना ही मुझे उक्त निर्माण के भूमि पूजन में बुलाया गया था। इसके अलावा निर्माण स्थल के आसपास ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की जानकारी से संबंधित कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया।

राजेश पाराशर, पार्षद जहां तक समयावधि की बात है तो परिषद द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त समयावधि ली गई है। निर्माण में गुणवत्ता की बात है तो इसमें जोपीडीएमसी होती है (थर्ड पार्टी) वो काम की गुणवत्ता उसके आरई वगैरह रहते हैं, जिनके द्वारा पहले वैल्युएशन किया जाता है फिर उसके बाद यहां के इंजीनियर द्वारा

वेरिफाई किया जाता है, कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग रहती है। बाकी आपने जो जानकारी दी है मैं उसे एक बार पुनः देख लूंगा और संबंधित को निर्देशित करूँगे कि जो भी खामियां हैं उसमें सुधार करें।

अमित तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद डिंडोरी मुझे लगभग दो से तीन माह पूर्व ही पी आई सी में लोक निर्माण सभापति के पद से नवाजा गया, चूंकि आपके माध्यम से घटिया निर्माण किए जाने की बात सामने आई है तो आज ही मैं अपने अन्य पार्षद साथियों और जिम्मेदारों के साथ जाकर मौके का निरीक्षण करूंगा, तदनुसार ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

रीतेश जैन, पार्षद व लोक निर्माण सभापति

पोड़की को हरा रेवांचल बनी चैम्पियन

► ग्राम पंचायत खन्नाथ में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन

करंजिया ,नवभारत 3 फरवरी। करंजिया जनपद अंतर्गत वन ग्राम पकरीसोहा, ग्राम पंचायत खन्नाथ में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सोमवार को उत्साहपूर्ण एवं रोमांचक माहौल में संपन्न हुआ।

फाइनल मैच रेवांचल एवं पोड़की टीम के बीच खेला गया। 10-10 ओवर के इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पोड़की टीम ने निर्धारित ओवरों में 87 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेवांचल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत का और प्रतियोगिता का खिताब अपने

नाम किया। वहीं पोड़की टीम उपविजेता रही।

क्षेत्र की कई टीमों ने लिया था भाग

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत खन्नाथ के सरपंच गजेन्द्र सिंह धुर्वे ने की। विशेष अतिथियों में जनपद सदस्य प्रभु परस्ते एवं उप-सरपंच राधे सिंह पट्टा मौजूद रहे। प्रतियोगिता का संचालन खेल संचालक राम सिंह मार्को द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि यह क्रिकेट प्रतियोगिता 26 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की अनेक टीमों ने भाग लिया।

डुण्डीसरई में सरपंच कप वालीबॉल प्रतियोगिता 6 से

अमरपुर नवभारत 3 फरवरी। जनपद पंचायत अमरपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम डुण्डीसरई में आगामी 6 व 7 फरवरी को दो दिवसीय सरपंच कप वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के प्रथम विजेता टीम को 11101 रुपए नकद व ट्रॉफी, द्वितीय विजेता टीम को 5501 रुपए नकद व ट्रॉफी एवं तृतीय विजेता टीम को 2701 रुपए नकद व ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा। इच्छुक टीमों 101 रुपए इंट्री फीस जमा कर भाग ले सकती हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष कल्याण सिंह धुर्वे, उपाध्यक्ष सेमलाल मरावी, सचिव जीवन मरावी, उपसचिव फूंदीलाल नेताम, कोषाध्यक्ष सागर मरावी व देवेन्द्र कुमार धुर्वे द्वारा बताया गया कि सभी खिलाड़ी समय का विशेष ध्यान रहें। खेल खेलते समय विवाद होने पर दोनों टीमों को निरस्त कर दिया जाएगा।

मध्यान्ह भोजन के बाद बच्चों से धुलवाई जा रही थाली

करंजिया, नवभारत 3 फरवरी। जिले के करंजिया विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पकरी में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां पढ़ने वाले नाबालिग छात्र-छात्राओं से मध्यान्ह भोजन के बाद झुटे बर्तन (थाली) धुलवाने का कार्य कराया जा रहा है, जो न केवल शासन के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि बाल अधिकारों के संरक्षण कानूनों पर भी सीधा प्रहार है।

ग्रास जानकारी के अनुसार, शाला में मध्यान भोजन का संचालन कर रही शंकर पार्वती स्व सहायता समूह के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा बच्चों से बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। जबकि मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार भोजन पकाने, परीसने एवं बर्तन साफ करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्व सहायता समूह की होती है, बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम लेना पूरी तरह

नियमों का खुलेआम हो रहा उल्लंघन, बाल अधिकारों का हनन

शासकीय प्राथमिक शा

न न शिक्षा केन्द्र-रुस्ता विकास खण्ड, करंजिया जिला, डिण्डौरी



प्रतिबंधित है।

कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन

विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई कानूनी उल्लंघन स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। बच्चों से बर्तन धुलवाना बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की श्रेणी में आता है। बाल अधिकारों का

संरक्षण अधिनियम, 2015 बच्चों को अपमानजनक व असुरक्षित कार्य में लगाना दंडनीय है। मध्यान्ह भोजन योजना के राज्य एवं केंद्र शासन के दिशा-निर्देश है कि बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य लेना प्रतिबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना विद्यालय की जिम्मेदारी है।

कीचड़ में बर्तन, बच्चों की जान जोखिम में

बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे थे, वहां कीचड़ और फिसलन की स्थिति थी। ऐसे में छोटे बच्चों के गिरकर चोटिल होने की पूरी आशंका बनी हुई थी, लेकिन न तो स्कूल प्रबंधन और न ही समूह के सदस्यों ने इस ओर

कोई ध्यान दिया।

शिक्षक की चुप्पी पर उठे सवाल

मामले में जब प्राथमिक शाला पकरी के शिक्षक से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है और संकेत देती है कि पूरा मामला जिम्मेदारों के संरक्षण में दबाने की कोशिश की जा रही है।

इनका कहना है

आज बाल-चावल, सब्जी और खीर दूधों को दी गई है। हम बच्चों से थाली नहीं धुलवाते, आज ही बच्चे थोड़े रहे हैं।

ललिता बाई, सदस्य, शंकर पार्वती स्व-सहायता समूह

मामले की जानकारी मिली है। जांच के बाद यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

अजय राय, बीआरसी, विकासखंड करंजिया

बांधवगढ़ में बाघों की लाशों पर मनाया जा रहा ‘लूट का उत्सव’

ताला जोन में मैनुअल पर्वी से अवैध वसूली और वीआईपी सेंटिंग का धंधा बेखोफ जारी



चिल्हारी नवभारत 3 फरवरी। बाघों की कब्रगाह बने बांधवगढ़ में 20 दिन में 5 मौतों और लाठीचार्ज के शोर के बीच अब ‘कालाबाजारी’ का बड़ा खेल उजागर हुआ है। एसआईटी की नाक के नीचे ताला जोन में मैनुअल पर्वी से अवैध वसूली और वीआईपी सेंटिंग का धंधा बेखोफ जारी है। वायरल पर्वी ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। हद तो तब हो गई जब जिम्मेदार अधीनस्थ स्टाफ ने

दबी जुबान में कबूला कि पर्यटन अधिकारी कार्यालय से ही ऐसी पर्वीयां बनकर आती हैं, हमें तो बस उस पर अमल करना होता है। इस खुलासे ने वन विभाग के ‘भ्रष्टाचार’ की पोल नाली खोलकर रख दी है। वायरल हो रही यह पर्वी महज कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि वन विभाग के माथे पर लगा भ्रष्टाचार का वो दाग है, जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। यह पर्वी पूर्णतः अवैध है।

केरिंग कैपेसिटी के नियम की उड़ाई जा रही धज्जियां

एनटीसीए नई दिल्ली द्वारा जारी ‘नॉमेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर टूरिज्म एक्टिविटीज, 2012’ में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व को अपनी ‘केरिंग कैपेसिटी’ का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके तहत वाहनों की संख्या सीमित और निर्धारित है। साथ ही, मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट आदेश हैं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बुकिंग केवल ‘कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन सिस्टम’ (एमपी ऑनलाइन फरिस्ट पोर्टल) के माध्यम से ही होगी। मैनुअल पर्वी जारी करना सीधे तौर पर केरिंग कैपेसिटी के नियम को तोड़ना है, जो कि वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 की धारा 38-ओ के तहत दंडनीय अपराध है।

स्टाफ ने खोली पोल, साहब के ऑफिस से ही आती है पर्वी

इस पूरे मामले में ताला के पर्यटन अधिकारी (रेंज ऑफिसर) अंकित सोनी की भूमिका सवालों के घेरे में है। वायरल पर्वी पर उन्हीं की पदचुड़ा (सील) लगी है, लेकिन उनका कहना है कि मैं इस पर्वी को नहीं जानता और इस पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। उनका यह पल्ला झाड़ना तब और भी संदिग्ध हो जाता है, जब उन्हीं के अधीनस्थ स्टाफ ने इस फर्जीवाड़े की कलाई खोल दी।

स्टाफ ने कहा- हम तो बस

हुतम के गुलाम है

गेट पर तैनात और पर्वी प्रोसेस करने वाले स्टाफ ने साफ लफ्जों में कबूल किया है कि यह कोई पहली बार नहीं है। ऐसी पर्वीयां सोधे पर्यटन अधिकारी कार्यालय

(ऑफिस) से ‘अलाऊ’ होकर आती हैं। जब साहब के ऑफिस से घंटी आती है, तो हमें मजबूरी में उस पर साइन करना पड़ता है और गाड़ी छोड़नी पड़ती है। हम तो बस हुक्म के गुलाम है, विभाग के आगे हमारी क्या चलेगी?’ स्टाफ का यह बयान साबित करता है कि अधिकारी झूठ बोले रहे हैं और यह पूरा सिंडिकेट उनकी नाक के नीचे चल रहा है।

1 फरवरी, 3 पर्यटक

और अवैध एंट्री का सच

नवभारत की पड़ताल में इस वायरल पर्वी की एक-एक डिटेल की पुष्टि हो चुकी है। यह पर्वी जिम्मी क्रमांक एमपी-54-टी-1115 के लिए जारी की गई थी, जिसमें एक गाइड का नाम स्पष्ट रूप से रेखित है। पर्वी पर ‘गाइड की पेड़ 800’ की मुहर लगाकर अवैध वसूली की गई। पुष्टि हुई है

कि 1 फरवरी 2026 को इसी फर्जी पर्वी के सहारे 3 पर्यटकों को ‘वीआईपी’ बताकर ताला जोन में अवैध सफारी कराई गई। बिना ऑनलाइन बुकिंग और बिना आईडी प्रूफ के इन तीन लोगों को सीधे गेट से अंदर भेजना सुरक्षा नियमों के मुंह पर तमाचा है।

इनका कहना है

मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। मैं प्रकरण को देखता हूँ। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अनुपम सहाय, फील्ड डायरेक्टर, बांधवगढ़ रिजर्व उमरिया सील तो मेरी है, लेकिन आपके द्वारा भेजी गई पर्वी में हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। मेरे हस्ताक्षर से इस वर्ष कोई भी पर्वी जारी नहीं हुई है। **अंकित सोनी, पर्यटन अधिकारी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया**

दहशत

ग्राम पंचायत खुड़िया रैयत का भवन हो गया जर्जर, कभी भी गिर सकता है सीलिंग का प्लास्टर

कार्यालय के बाहर बैठकर सचिव व सरपंच कर रहे कार्य



अमरपुर नवभारत 3 फरवरी। जनपद पंचायत अमरपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत खुड़िया रैयत का ग्राम पंचायत कार्यालय भवन बहुत ही जर्जर हो गया है। इस भवन के अंदर बैठने पर इस बात का हमेशा

भय बना रहता है कि कहीं सीलिंग का प्लास्टर ऊपर में न गिर जाए। यहां सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक कार्यालय ब्रह्म बैठकर ही अपने शासकीय कार्य निपटाते नजर आते हैं।

ग्राम पंचायत सरपंच के अनुसार छत इतनी कमजोर हो गई है कि बारिश के मौसम में बारिश का पानी अंदर पंचायत भवन कार्यालय में भर जाता है। कक्षों में तो बरसात रुक जाने के बाद भी

पानी टपकता रहता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर भी अक्का घंटा बैठ पाना संभव नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत के आसपास ग्रामीण नित्य क्रिया करते हैं, जहां स्वच्छता मिशन

पूर्णतः असफल नजर आ रहा है।

ग्राम पंचायत कार्यालय के आस-पास हैं गंदगी

ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठने पर बदनू आने से लगता है कि कहीं उल्टि न हो जाए। शायद इस गांव में स्वच्छता मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत कार्यालय के आस-पास इतनी गंदगी व्याप्त है कि ग्रामीणों में संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है।

इनका कहना है

किसकों क्या कहे, हमारी तो मजबूरी है कि हम लोग पंचायत का संचालन कर रहे हैं।

ज्ञानी सिंह परतेली, सरपंच ग्राम पंचायत खुड़िया

शहपुरा नवभारत 3 फरवरी। भाजपा मंडल शहपुरा द्वारा विकसित भारत जी राम जी योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य योजना के लक्ष्यों, क्रियान्वयन और जन-जागरूकता को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश देना रहा।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पंडित ज्ञानदीप त्रिपाठी ने योजना की अवधारणा, सामाजिक सहभागिता और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला उपाध्यक्ष संतोष साहू एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोहर सोनी ने संगठनात्मक अनुभव साझा करते हुए बूथ स्तर तक प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर



शक्ति केंद्र और हर बूथ पर सर्पमर्त कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

योजना के उद्देश्यों को जन-जन पहुंचाने का लिया संकल्प- कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी गुड्डा सोनी, मंडल महामंत्री नितिन गुप्ता एवं वसंत कुशराम ने समन्वय और प्रचार-प्रसार की रणनीति पर विचार रखे। अंत में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि योजना के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाया

जाएगा। कार्यशाला में सभी शक्ति केंद्र प्रभारी, पंच परमेश्वर, बूथ के त्रिदेव एवं देवतुल्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से राजेश साहू, अनूप गुप्ता, हरीश साहू, अरुण अग्रवाल, बबलू अवधिया, हीरालाल साहू, शारिलाल साहू, रामलाल रजक, साधुराम भवेदी सहित शक्ति केंद्र प्रभारी राजा साहू, विजय साहू, मोहन बनवासी, किशन झरिया, अमित कछवाहा, पवन झरिया उपस्थित रहे।